विद्युत लोकपालः

उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम द्वारा वादों के निर्णय के विरूद्ध अथवा वाद दायर करने के 90 दिन (तीन माह)व्यतीत होने के उपरान्त अभ्यावेदन (अपील), बिना कोई शुल्क जमा किये, विद्युत लोकपाल के यहाँ 1माह के भीतर दायर किया जा सकता है। अभ्यावेदन/अपील का प्रारूप भी उपलब्ध है जिसमें उपभोक्ता का नाम,पता, विद्युत कम्पनी/वितरण खण्ड का नाम, पता, फोरम का नाम, अभ्यावेदन/अपील को उद्‌भूत करने वाले तथ्य, चाहा गया अनुतोष एवं सुसंगत तथ्यों आदि को उल्लिखित करेगा। विद्युत लोकपाल/फोरम के निर्णयों तथा निर्देशों के अनुपालन का उल्लंघन करने पर आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत प्रति उल्लंघन रू0 एक लाख तक की धनराशि का दण्ड लगाने का प्राविधान है। विद्युत लोकपाल के निर्णय के विरूद्ध अपील का प्राविधान नहीं है। विद्युत लोकपाल का पता निम्नवत् हैः–

विद्युत लोकपाल

तृतीय तल, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान(नेडा)
विभूति खण्ड,गोमती नगर,
लखनऊ –226010
दूरभाष संख्या : 0522–2720856
फैक्स नं0: 0522–2720857